कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ0ग0)

क्रमांक/2369 /भू-अभिलेख/2024 सारंगढ़, दिनांक 05 जुलाई 2024

प्रति,

1. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
2. सर्व तहसीलदार/सर्व नायब तहसीलदार
3. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

विषय :- राजस्व प्रकरणो के शीघ्र निराकरण बाबत्।

-0-

माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 05 जुलाई 2024 से 20 जुलाई 2024 के भीतर राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष अभियान के तहत राजस्व पखवाड़ा आमंत्रित की जायेगी ।

राजस्व पखवाड़ा के दौरान आम जनता से संबंधित राजस्व के सभी प्रकरणों का त्वरित एवं शत् प्रतिशत निराकरण किया जाएगा । इस हेतु निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

1. **व्यापक प्रचार-प्रसार :-राजस्व प्रकरणो को तथा राजस्व सबंधित समस्याओ का त्वरित निराकरण हेतु ग्राम पंचायतवार आवेदन पत्र लिये जाने हेतु** :- ग्राम पंचायतवार कोटवारों एंव अन्य माध्यम से मुनादी/वृहद प्रचार प्रसार किया जावे ।
2. **आवेदन सचिव/पटवारी स्तर पर निराकरण** :- आवेदन आम जनताओं से लेकर अगर सचिव अथवा पटवारी स्तर का हो तो उसी दिवस निराकरण किया जावें ।
3. **आवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया जावें** :- सचिव / पटवारी स्तर के नहीं होने से संबंधित तहसीलदार को प्रस्तुत किया जावें एवं निराकरण की स्थिति से संबंधित आवेदक को बताते हुए इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित किया जावें ।
4. **तहसीलदार/नायब तहसीलदार आवेदन का टीप निराकरण कर आवेदक को अवगत करावें** :- सचिव / पटवारी स्तर के नहीं होने से संबंधित तहसीलदार को प्रस्तुत किया जावें एवं निराकरण की स्थिति से संबंधित आवेदक को बताते हुए इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित किया जावें ।
5. **प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें** :- प्राप्त आवेदन पत्र तथा निराकरण का प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सर्व तथा सबंधित तहसीलदार श्री कमलकांत स्वर्णकार सहायक अधीक्षक (राजस्व) को अनिवार्यतया प्रस्तुत करेगे । सहायक अधीक्षक प्रगति की रिपोर्ट से प्रतिदिवस कलेक्टर महोदय को संध्या 05.00 बजे तक अवगत कराना सुनिश्चित करेंगें ।

आम जनता से प्राप्त किये जाने वाले आवेदन पत्रो का विवरण निम्नानुसार है :-

1. **नामान्तरण :-**
   1. फौती नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र जिसमे मृतक का नाम, उसके विधिक वारिसान तथा जिस भूमि पर फौती नामान्तरण चाहा गया है का भूमि का विवरण तथा बी-1 लिया जावे ।
   2. कय- विकय के आधार पर नामान्तरण ।
   3. वसियत के आधार पर नामान्तरण ।
2. **बटवारा :-**
   1. आपसी विभाजन के आधार पर /कब्जाकाश्त के आधार पर उभयपक्ष के सहमति के आधार पर आवेदन पत्र,बी-1 तथा विभाजित भूमि का विवरण के साथ ।
   2. अंश एंव भूमि के किस्म व गुणवत्ता के आधार पर खाता विभाजन जिसमे खातेदारो को विधिक पक्षकार संयोजित कर धारा 178 के प्रावधानो के तहत आवेदन ।
   3. पिता एंव विधिक वारिसानो के मध्य धारा 178(क) के तहत आवेदन ।
      1. **किसान किताब द्वितिय ऋण** पुस्तिका प्रदाय करने हेतु संहिता की धारा 114 के तहत आवेदन पत्र, सबंधित भूमि का बी-1 तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित बैको का नो-डूयज तथा सह खातेदारो के सहमति पत्र के साथ लिया जावे।
      2. **जीर्ण-शीर्ण किसान किताब के बदले नया जारी** करना आवेदन पत्र शपथ पत्र तथा पुंराना ऋण पुस्तिका सलंग्न कर आवेदन पत्र ।

OR LETER

Scanned with OKEN Scanner

4. **जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु :-**

1. विधिवत आवेदन पत्र, अनुजाति/जनजाति हेतु 1950 के पूर्व साक्ष्य हेतु मिसल बन्दोबस्त/शैक्षणिक दाखिल खारिज,भूमिहिन होने पर ग्राम सभा का प्रस्ताव जिनके लिए जाति प्रमाण पत्र चाही गई का अंक सूची जिसमे जाति उल्लेख हो तथा राशनकार्ड आधार कार्ड के साथ ।
2. विधिवत आवेदन पत्र, अन्य पिछडा वर्ग हेतु 1984 के पूर्व साक्ष्य हेतु मिसल बन्दोबस्त/शैक्षणिक दाखिल खारिज,भूमिहिन होने पर ग्राम सभा का प्रस्ताव जिनके लिए जाति प्रमाण पत्र चाही गई का अंक सूची जिसमे जाति उल्लेख हो के तथा राशनकार्ड आधार कार्ड के साथ ।
3. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए** आवेदन पत्र,शपथ पत्र भूमि तथा ब्यापार, चल -अचल सम्पत्ति के जानकारी के साथ आवेदन तथा अंकसूची तथा राशनकार्ड आधार कार्ड के साथ । ।
4. निवास प्रमाण पत्र
5. आय प्रमाण पत्र
6. बी-1 खसरा नकल
7. धारा 115-116 त्रुटी सुधार के सबंध मे अनुविभागीय अधिकारी (रा0) के नाम पर आवेदन पत्र भूमि का विवरण तथा बी-1 खसरा तथा नक्शा पूर्व एंव वर्तमान के साथ।

कृपया उपरोक्त प्राप्त आवेदन पत्रो को अपने जनपद पंचायत मे प्राप्त कर सूची बद्व करते हुए सबंधित क्षेत्र के तहसीलदार एंव नायब तहसीलदारो को प्रदाय करे तथा सूची की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जावे ताकि नियमानुसार उचित निराकरण की समीक्षा किया जा सके ।

इसे अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जावे ।

कलेक्टर
जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

पृष्ठां. क्रमांक/2369/भू-अभिलेख/2024 सारंगढ़, दिनांक 05 जुलाई 2024

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. परियोजना निदेशक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner